

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:एफ.16(1)(98)/सामान्य /आईसीडीएस/17/50123

जयपुर,दिनांक 2-4-18

आदेश

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण,प्रतिषेध प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की पालना में उपनिदेशक कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीडन से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर सदस्यों को नामित किया जाकर सूचना तीन दिवस में आवश्यक रूप में भिजवायें।

421 ✓
अभ्युक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

50124-467

क्रमांक:एफ.16(1)(98)/सामान्य /आईसीडीएस/17/

जयपुर,दिनांक 2-4-18

प्रतिलिपी :- प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव समेकित बाल विकास सेवाएँ राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (आई) मुख्यालय जयपुर।
4. उपनिदेशक (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर।
5. उपनिदेशक समस्त.....।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी,समस्त.....।
7. उपनिदेशक/ए0सी0पी0 विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश-पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर